अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0..... सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3
	न्यायालय उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0 170/2014. अपीलार्थी – अलका रानी बनाम रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार **आदेश** प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 673/प्रो0 दिनांक 29.01.2014 के विरूद्ध हस्तांतरित होकर इस न्यायालय में दायर किया गया है। इस अपीलवाद में आरोप यह है कि महिला पर्यवेक्षिका श्रीमती रीता कुमारी किशनपुर द्वारा दिनांक 13.03.2013 को किशनपुर परियोजना के केन्द्र सं0– 47 सामुदायिक भवन नया मुशहरी का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय केन्द्र बंद पाया गया सेविका/सहायिका बिना सूचना के अनुपस्थित थी। सेविका/सहायिका के अनुपस्थिति के संबंध व केन्द्र बंद पाये जाने के आरोप में कार्यालय पत्रांक 807/प्रो0 दिनांक 22.06.2013 द्वारा सेविका श्रीमती अलका रानी व सहायिका रंजना देवी से स्पष्टीकरण की माँग की गई। दिनांक 28.06.2013 को सेविका/सहायिका को अपने स्पष्टीकरण/पक्ष रखने हेतु तिथि को उपस्थित हो कर सेविका/सहायिका ने अपना स्पष्टीकरण पक्ष जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के समक्ष रखा। सेविका /सहायिका द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से असहमति व्यक्त करते हुए कार्यालय ज्ञापांक	

673 दिनांक 29.01.2014 से चयन रद्द करने का निर्देश जारी किया गया।

अपीलार्थी की सुनवाई इस न्यायालय में हुई, जिसमें अपीलार्थी के अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता ने अपना –अपना पक्ष रखते हुए सबूत व कागजात भी प्रस्तुत किए। इस संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय को बताया कि निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल का पारित आदेश कानुन दृष्टि से त्रुत्रिपूर्ण है जो, बिल्कुल तथ्यहीन व गैर न्यायिक आदेश है। आदेश पारित करते समय न्यायिक दृष्टि व दिमाग का उपयोग नहीं किया वैगर तथ्यात्मक विवेचना किए रूटिन मैनर में आदेश पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। उन्होंने अपीलार्थी की तरफ से पक्ष रखते हुए बताया कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के कार्यालय पत्रांक 807 दिनांक 22.06.2013 के माध्यम से केन्द्र के संचालन में पायी गई अनियमितता के संबंध में स्पष्टीकरण की माँग किया गया जिसमें वर्णित है कि दिनांक 13.03.2012 को समय 12:40 बजे महिला पर्यवेक्षिका रीता कुमारी किशनपुर द्वारा केन्द्र का निरीक्षण किया गया जिसमें आरोप यह लगाया गया है कि (1)सेविका/सहायिका बिना सूचना के अनुपस्थित। (2) केन्द्र बंद पाया गया। स्पष्टीकरण समर्पित करने की तिथि दिनांक 28.06.2013

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने इस ओर भी ध्यान आकृष्ट कराये कि आँगनबाड़ी केन्द्र के निरीक्षण प्रतिवेदन के कमांक 09 एवं10 पर अंकित है, सेविका/सहायिका अनुपस्थित एवं निरीक्षण की तिथि 12:40 बजे दिनांक 13.03.2012 किन्तु निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर रीता कुमारी L.S 13.03.2013 दर्ज है।

उल्लेखीय है कि निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक 13.03.2012 में माँगे गए स्पष्टीकरण ससमय दाखिल किए थे जिसमें सेविका दिनांक 13.03.2012 को वह C.L अवकाश में थी, एवं उपस्थित पंजी में दिनांक 13.03.2012 C.L. अंकित किया गया है। इसका साफ मतलब है कि दिनांक 13.03.2012 को सेविका केन्द्र से छुट्टी लेकर अनुपस्थित थी, किन्तु गलत व्याख्या निम्न न्यायालय ने यह कर लिया कि सेविका द्वारा दिनांक 13.03.2013 को केन्द्र बंद रखने के संदर्भ में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि महिला पर्यवेक्षिका के जाँच में अंकित है कि दिनांक 13.03.2013 को केन्द्र का जाँच नहीं किया गया और ना ही स्पष्टीकरण पपत्र में वर्णित है कि दिनांक 13.03.2013 को केन्द्र का जाँच किया गया तो

निम्न न्यायालय सुपौल का यह कहना कि सेविका द्वारा दिनांक 13.03.2013 को केन्द्र बंद रखने के संबंध में सेविका ने कोई जबाव नहीं दिया है, कितना हास्यास्पद बातें है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी कहा कि रीता कुमारी महिला पर्यवेक्षिका द्वारा दिनांक 13.03.2013 को केन्द्र का निरीक्षण नहीं किया गया, बल्कि उक्त तिथि को वे कार्यालय कार्य में थी, जो उनकी उस महीने की भ्रमण दैनन्दिनी से स्पष्ट होता है, इसे अवलोकन कराया गया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यहाँ उल्लेख्नीय व महत्त्वपूर्ण तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट कराया कि किस प्रकार निम्न न्यायालय का आदेश बनावटी व तथ्य से परे है, चूँकि जब एक वाद की सुनवाई दिनांक 28.06.2013 को दर्ज हो गई, तब किस परिस्थिति में पुनः दिनांक 26.11.2013 को सहायिका के विरूद्ध दुसरी आरोप की सुनवाई इसी वाद मे सम्मालित कर लिया गया। चूँकि जब आरोपी सेविका के विरूद्ध आरोप साबित नहीं हुए तो सहायिका को दोषी ठहराने के लिए दिनांक 13.03.2013 के आरोप का उल्लेख करते हुए पुनः दिनांक 21.05.2013 को महिला पर्यवेक्षिका रीता कुमारी ने निरीक्षण कर कार्यालय पत्रांक 1663/प्रो0 दिनांक 19.11.2013 से सहायिका रंजना देवी से स्पष्टीकरण पूछा गया एवं वाद की सुनवाई दिनांक 26.11.2013 दशार्या गया दिनांक 26.11.2013 को सहायिका सुनवाई में उपस्थित हुई पुनः सुनवाई में सहायिका के उपर आरोप साबित किया गया किन्तु चालाकी से सेविका के कार्य के प्रति रूची नहीं दर्शाते हुए चयन मुक्त आदेश सेविका को कर दिया गया। इससे ज्ञात होता है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल का पारित आदेश विभागीय मार्गदर्शिका 2011 की कंडिका 10.8 वाह्य जनित कारणों (Extraneous reasons) से प्ररित है।

उपरोक्त सारे विवेचना एवं निष्कर्षो के उपरान्त यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि निरीक्षण तिथि दिनांक 13.03.2013 को रीता कुमारी ने केन्द्र का निरीक्षण किया जबकि सेविका/सहायिका ने अपने स्पष्टीकरण में दिनांक 13.03.2012 को सेविका द्वारा C.L. अवकाश में रहने की बात बताई गई है। जबकि सहायिका द्वारा यह बताया गया कि केन्द्र के बगल में दुर्घटना होने के वजह से सारे बच्चें दुर्घटना स्थल पर चले गये थे सेविका छुट्टी में थी। अपने स्पष्टीकरण प्रपत्र में रीता कुमारी दिनांक 13.03.2013 को हस्ताक्षर करती है, जबकि निरीक्षण की तारीख 13.03.2012 दर्शाती है दोनों ही बाते एक दुसरे का विरोधाभासी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि पत्रांक 807 दिनांक 22.06.2013 स्पष्टीकरण

प्रपत्र में की तिथि 13.03.2012 समय 12:40 बजे लिखा है। जबकि निम्न न्यायालय सुपौल से जो LCR भेजा गया है उसमें over writing कर दिनांक 13.03.2012को 13.03.2013 बनाया गया है। किन्तु over writing पर किसी पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं किया गया है। अतः न्यायालय सही निष्कर्ष पर पहुँचने में कठिनाई महसुस करती है। अतः इस वाद को पुनः निम्न न्यायालय सुपौल को सुनवाई हेतु Remand कर भेजा जाना ज्यादा आवश्यक प्रतीत होता है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल शीघ्र वाद का निष्पादन करें।

वाद की समाप्ति की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

17.3.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

17.3.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा